न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर ए एस

मुकदमा संख्या:- 44/18

1 श्री भागीरथ s/o श्री मोती दरोगा निवासी- कवराड़िया, तहसील- माण्डल

——प्रार्थी

बनाम

1- श्री गहरीलाल s/o श्री उदा जाट निवासी- कवराड़िया, तहसील- माण्डल [कोरी]

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आ दे श ::   दिनांक:— 20.2.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राजा0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कवराड़िया ...... पटवार हल्का कवराड़िया तहसील मांडल/करेड़ा में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं ......संलग्नित पिछले पृष्ठ पर अंकित ....कुल किता 11 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7.2.18......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जा काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त........पटवार हल्का ..उक्त...... तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर ....उक्त..कुल किता उक्त रकबा उक्त बीघा उक्त बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक आलमास......को 400=/-—रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आराजी नं.	रकबा
594	02 बीघा 13 बिस्वा
441	17 बिस्वा
614	08 बिस्वा
615	01 बीघा 08 बिस्वा
616	14 बिस्वा
616/2	01 बिस्वा
617/2	03 बिस्वा
618	06 बिस्वा
619	06 बिस्वा
620	05 बिस्वा
621	06 बिस्वा

कुल किता 11 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा